वर्ष: 02 अंक: 07

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - दिसंबर - 2022

National Commission For Scheduled Castes
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 07 दिसंबर 2022

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

हम साल 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। नए साल में नई उम्मीदों के साथ आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का प्रकाशन लगातार जारी रहेगा। आयोग का प्रयास रहेगा बीते साल की तरह इस साल भी आप लोगों तक आयोग द्वारा किए गए कार्यों, लिए जा रहे फैसलों आदि की जानकारी पहुंचती रहे। हमें यह बताते हुए भी काफी हर्ष हो रहा है कि आपके सहयोग से अभी तक 18 अंकों का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया जा चुका है। इस बार यह उन्नीसवां अंक प्रकाशित किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि नया साल 2023 आप सभी के नई आशाएं, नई रोशनी लेकर आए। साथ ही मासिक पत्रिका को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग पूर्ववत वांछनीय रहेगा।

नए साल 2023 की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं!

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

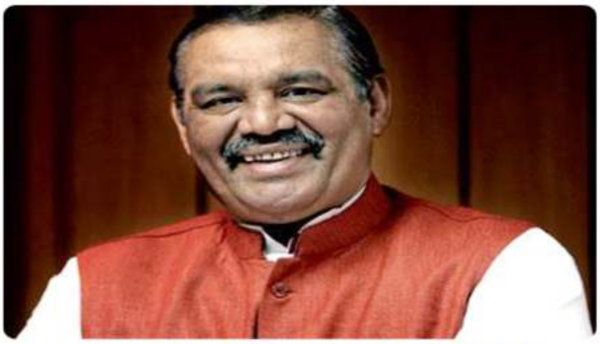

**SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN**

**SHRI ARUN HALDER
VICE CHAIRMAN**

**DR. ANJU BALA
MEMBER**

**SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI
MEMBER**

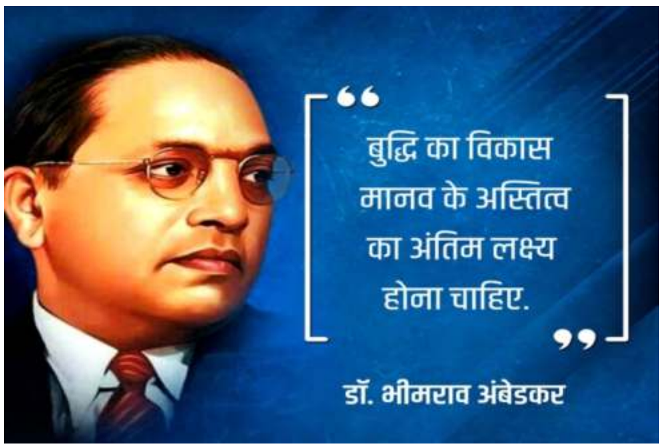

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

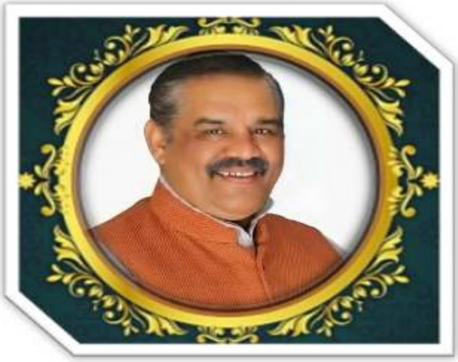

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के 19वें अंक के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग अपनी मासिक पत्रिका के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए लगातार प्रयासरत है कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व वचनबद्धता को निभाने के लिए काम कर रहा है। 19वें अंक के प्रकाशित होने के साथ हम नये वर्ष 2023 में प्रवेश कर चुके हैं।

आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्थलीय निरीक्षण से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई तक कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से मिली घटनाओं की जानकारी पर भी आयोग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सरकारों और प्रशासन से जवाब मांगा जाता है। मासिक पत्रिका के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय-समय पर पहुंचती रहे।

गत माह भी पंजाब के लतीफपुरा में मकानों को गिराए जाने के मामला, टीवी पर प्रसारित होने वाले एक रियल्टी शो में एक कंटेस्टेंट द्वारा दूसरे कंटेस्टेंट पर की गई जातिगत टिप्पणी जैसे मामलों को आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए मिली जानकारियों के आधार भी कई मामलों में आयोग द्वारा नोटिस जारी कर संबंधित विभागों से जवाब तलब किया गया।

इसके अलावा सिडबी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिए 'साथ' योजना की शुरूआत कराई गई ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमी भी समाज के साथ तालमेल बिठा सकें। मकसद सिर्फ एक ही है कि समाज में हाशिए पर बैठे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को समाज में उचित जगह मिल सके और उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने पाए। आयोग इसके लिए प्रयासरत है और आगे भी रहेगा।

आप सबको नव वर्ष 2023 की बधाई देते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुन्दर भविष्य की कामना करता हूं।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

स्थलीय निरीक्षण

लतीफपुरा में तोड़े गए घर, मौके पर पहुंचा आयोग

पंजाब में जालंधर के लतीफपुरा में जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा मकानों को गिरा दिया गया। मकानों को गिराए जाने के मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बेहद गंभीर माना। मामले का संज्ञान लेते हुए माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने मौके का दौरा भी किया।

उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की और तथ्यों को जानकारी ली। माननीय अध्यक्ष ने लतीफपुरा इलाके में मकानों को गिराए जाने को 'सरकारी अत्याचार' बताया। उन्होंने कहा कि वह लोगों की दुर्दशा देखकर भयभीत हैं।

लतीफपुरा मामले में माननीय अध्यक्ष ने स्थानीय सर्किट हाउस में जिलाधीश, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त व जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों को तलब कर मामले की पूरी जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए।

अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को मिला SIDBI का ''साथ''

अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने में मदद करने के उद्देश्य से स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) ने पंजाब के होशियारपुर में औपचारिक रूप से नई ऋण योजना 'साथ' की शुरुआत की।

यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला और सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस रमण द्वारा शुरू की गई। कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति–पत्र भी जारी किए गए।

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष श्री सांपला ने कहा कि सिडबी की इस ऋण योजना 'साथ' का लाभ देश भर के अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमी उठा सकेंगे।

सिडबी की 'साथ' योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा भूमि के अधिग्रहण, कार्यालय स्थापना, उपकरण, संयंत्र व मशीनरी की खरीद के लिए ऋण लिया जा सकेगा।

बताया गया कि प्राथमिकता अनुसूचित जाति वर्ग के उन उद्यमियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत सरकार की 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के तहत धन प्राप्त किया है।

बाबा साहेब को दी गई श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी के साथ मिलकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, डीआईजी श्रीमती सन्मीत कौर के अलावा आयोग के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा, ''बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही लोगों के मन में उनके संविधान निर्माता, दलितों के लिए आवाज बुलंद करने वाले मसीहा, कानून के विशेषज्ञ, जातिगत भेदभाव के खिलाफ और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बोलने वाले शख्स की छवि उभरकर सामने आती है। लेकिन उनकी शख्सियत इन सबसे अलग भी है। बाबा साहब ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने कभी भी कोई काम बदले की भावना से नहीं किया। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीब, दलितों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। आयोग उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए।

रियल्टी शो में जातिगत टिप्पणी पर आयोग का नोटिस

टीवी पर प्रसारित होने वाले रियल्टी शो बिग बॉस में की गई जातिगत टिप्पणी के मामले का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के निर्देशानुसार आयोग ने रियल्टी शो से संबंधित मेकर्स व मुंबई पुलिस को नोटिस जारी जवाब मांगा गया। इस मामले में मुंबई के पुलिस आयुक्त, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एंडेमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को नोटिस जारी किया गया। आयोग ने कलर्स टीवी और शो की निर्माता कंपनियों को इस मामले में सात दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। इसमें घटना की तारीख, विवरण, क्या कार्रवाई की गई समेत अन्य जानकारी देने की बात कही गई है। आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर रिपोर्ट नहीं दी गई तो इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

स्थलीय निरीक्षण

घटना का लिया संज्ञान, पीड़ितों से मिला आयोग

झारखंड के धनबाद स्थित नारायण धौरा में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों, दुकानों में तोड़फोड़ की घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया।

मीडिया में आई खबरों के द्वारा आयोग को वहां आगजनी, मारपीट व उत्पीड़न किए जाने की भी सूचना मिली थी। घटना की स्थलीय जांच के लिए आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार नारायण धौरा पहुंचे और पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिले।

माननीय उपाध्यक्ष ने घटना की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद घटना में संलिप्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को आयोग के निर्देशानुसार शीघ्र मुआवज़ा देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। साथ ही 72 घंटे के अंदर आयोग को रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आयोग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक

जम्मू-कश्मीर पहुंचा आयोग का दल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल समीक्षा बैठक के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पहुंचा। इस दल की अगुवाई माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने की। यहां पर उन्होंने कठुआ जिले में जिला समीक्षा बैठक की।

जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान कठुआ के उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया।

समीक्षा बैठक उपरांत माननीय सदस्या ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कठुआ अतिथि गृह में आये हुए व्यक्तियों की समस्याओं से अवगत होकर समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

समीक्षा बैठक

NMDC LTD की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने दिसंबर माह के दौरान हैदराबाद का आधिकारिक दौरा किया। यह दौरा माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी के नेतृत्व में किया गया।

माननीय सदस्य की अगुवाई में आयोग द्वारा एनएमडीसी लिमिटेड की समीक्षा बैठक की गई।

इस दौरान आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी के साथ-साथ आयोग व एनएमडीसी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस दौरान आयोग ने एनएमडीसी लिमिटेड में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के कल्याण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

खबरों में आयोग

उद्यमियों को होगा लाभ : विजय सांपला

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और सिडबी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरैक्टर शिव सुब्रमणियन योजना जारी करते हुए।

● राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और सिडबी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरैक्टर शिव सुब्रमणियन ने शुरू की योजना

सवेरा न्यूज/विकास

होशियारपुर, 28 दिसंबर : देश के एससी/एसटी उद्यमियों की मदद करने के एकमात्र उद्देश्य से स्माल इंडस्ट्रीज डिवैल्पमैंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) ने बुधवार को होशियारपुर में नई ऋण योजना 'साथ' की शुरूआत की।

यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और सिडबी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर शिव सुब्रमणियन द्वारा शुरू की गई। कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी जारी किए गए। सांपला ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों से एससी/एसटी वर्गों के लोगों के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मेरे अनुरोध पर विचार करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके व्यवसाय में मदद करने के लिए सिडबी ऐसी ही पहल के साथ आगे आया है। 'साथ' योजना में न्यूनतम प्रोसैसिंग शुल्क है जबकि यह ऋण 7 साल में चुकाया जा सकता है जबकि अन्य बैंकों की योजनाओं में कर्जा चुकाने की अवधि अक्सर 5 साल होती है। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, शिव सुब्रमणियन ने कहा कि कोविड काल में कई लोगों के व्यवसाय प्रभावित हुए लेकिन 'साथ' योजना के साथ, लोग फिर से अपने उद्योगों का विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उधारकर्ता 25 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकता है जबकि उन्हें 7 साल के भीतर राशि चुकानी होगी।

ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਸਕੀਮ 'ਸਾਥ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ - ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਜਲੰਧਰ 22 ਦਸੰਬਰ (ਰੋਗਿਜ਼ ਸੋਢੀ)

ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡਬੀ) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ 'ਸਾਥ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ 'ਸਾਥ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਰਮਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ... ਸਿਡਬੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਈ (ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂ ਵਰਮਾ ...

लतीफपुरा पहुंचे सांपला की टिप्पणी–सरकारी अत्याचार हुआ

जासं, जालंधर : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने लतीफपुरा में मकानों को गिराए जाने के मामले में पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, लोकल बाडी के सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, जालंधर के डिप्टी कमिश्नर व पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को तलब किया है।

डीसी को स्वतंत्र जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए। इन सभी को 10 जनवरी को आयोग के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होना होगा। भाजपा नेताओं के साथ लतीफपुरा

10 जनवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दिल्ली कार्यालय में अधिकारियों को किया तलब

10 दिसंबर को पुनर्वास किए बिना लोगों को कर दिया था बेघर, ठंड में मलबे के पास रह रहे लोग

पूरे प्रकरण के पीछे भू-माफिया

चेयरमैन ने कहा कि इससे पहले जब यहां कार्रवाई होनी थी, तब ट्रस्ट में बकायदा प्रस्ताव रखा था जिसका विरोध भी हुआ था पर अब अचानक ही कार्रवाई कर दी गई। सरकार का काम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देना है लेकिन यहां तो सरकार ही अत्याचार कर रही है। जिस तरह से यहां जमीन हथियाने की कोशिश की गई है, उससे लोगों की इस बात में दम नजर आता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे भू-माफिया काम कर रहा है। इसकी भी पूरी जांच करवाई जाएगी।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਸਾਥ' ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਫੋਟੋ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

▶ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਸਾਥ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ... ਮੌਕੇ 'ਤੇ 5 ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਰਮਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ

ऋण योजना 'साथ' से पंजाब के अनुसूचित जाति के उद्यमियों को होगा लाभ : सांपला

कहा, सिडबी होशियारपुर व फगवाड़ा के एमएसएमई की सहायता पर ध्यान दें

होशियारपुर में बुधवार को अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए शुरू की गई ऋण योजना की जानकारी देते हुए जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और सिडबी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर शिव सुब्रमण्यम व अन्य अधिकारी।

जागरण टीम, होशियारपुर : देश के एससी/एसटी उद्यमियों को उनके उद्योगों को फलने-फूलने में मदद करने के एकमात्र उद्देश्य से स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (सिडबी) ने बुधवार को होशियारपुर में औपचारिक रूप से नई ऋण योजना 'साथ' की शुरुआत की। यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और सिडबी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर शिव सुब्रमण्यम द्वारा शुरू की गई। कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति-पत्र भी जारी किए गए।

सांपला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बैंकों से एससी/ एसटी वर्गों के लोगों के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू करने के लिए कहा है। मेरे अनुरोध पर विचार करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके व्यवसाय को फलने-फूलने में मदद करने के लिए सिडबी ऐसी ही पहल के साथ आगे आया है। 'साथ' योजना में न्यूनतम प्रोसैसिंग शुल्क है, जबकि यह ऋण सात साल में चुकाया जा सकता है, जबकि अन्य बैंकों की योजनाओं में कर्ज चुकाने की अवधि अक्सर पांच साल होती है।

उन्होंने कहा कि हालांकि देश भर के एससी उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं लेकिन जिला होशियारपुर और फगवाड़ा (जिला कपूरथला) के मझौले व लघु उद्यमियों की सहायता पर विशेष ध्यान देने पर आभार जताया है। सांपला ने कहा कि 'साथ' के अलावा, बैंक की एक अन्य योजना 'प्रयास' भी है जिसमें बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए छोटी राशि का ऋण प्रदान करता है।"

सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, शिव सुब्रमण्यम रमन ने इस अवसर पर कहा, "कोविड काल में कई लोगों के व्यवसाय प्रभावित हुए। अब 'साथ' योजना के साथ, लोग फिर से अपने उद्योगों का विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं। योजना के तहत, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमी नई या ग्रीनफील्ड इकाइयों की स्थापना के लिए या प्रोत्साहन ... प्रावधान के साथ ... के विस्तार और ... लिए अपेक्षाकृत ... सावधि ऋण सहा... सकते हैं। ऐसी ... अधिग्रहण, कारख... भवन के निर्माण, ... और मशीनरी ... दावों के लिए सा... प्रदान की जाएगी।

25 लाख से तीन लाख तक लिया जा सकता है ऋण : शंकर सुब्रमण्यम

सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रत्येक उधारकर्ता 25 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकता है, जबकि उन्हें 7 साल के भीतर (2 साल तक की मोरेटोरियम अवधि सहित) राशि चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत दिए गए ऋण का उपयोग पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम ने आगे बताया कि एससी-एसटी उद्यमियों की उन इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें भारत सरकार की 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के तहत पहले ही फंड मिल चुका है। साथ ही, उद्यमी को मौजूदा इकाई में परियोजना लागत का न्यूनतम 20% योगदान देना चाहिए, जबकि नई इकाई बनाने वालों को परियोजना लागत का न्यूनतम 25% योगदान देना हो... के अंतर्गत जो पात्र एस... उद्यमी कोलेटरल सिक... भुगतान करने की स्थि... उन्हें सीजीएमटीएसई गारंटी कवरेज मिलेगा ... बल्कि सीजीएमटीएसई ... लिए प्रोसेसिंग शुल्क ... सिडबी द्वारा वहन की ...

SIDBI's new loan scheme will benefit SC/ST entrepreneurs, stresses GM

TRIBUNE NEWS SERVICE

JALANDHAR, DECEMBER 22

The new financial scheme, 'Saath', of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) will benefit scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs in running MSMEs, said SIDBI's general manager and Chandigarh Regional Office Head Balbir Singh, in the presence of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) Chairman Vijay Sampla, in Jalandhar on Thursday.

While speaking on the occasion, Sampla said, "The new loan scheme, 'Saath', is another effort to help SC entrepreneurs in flourishing their businesses. Though the SC entrepreneurs from across the country can take the benefit of the scheme, I am thankful to the SIDBI for considering my request for keeping special focus on assisting the MSMEs based out of Hoshiarpur district and Phagwara (Kapurthala district)."

On December 28, Chairman and Managing Director of SIDBI Sivasubramanian Ramann will address over 500 entrepreneurs, and will explain the benefits of the scheme, at a special event in Hoshiarpur.

Sampla will grace the event as the chief guest. Many entrepreneurs fulfilling the eligibility are likely to get the benefits of the scheme during the event.

SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES

"The 'Saath' scheme aims to support MSMEs (both manufacturing and service sectors), which are promoted by SC/ST entrepreneurs."

Balbir Singh, REGIONAL SIDBI HEAD

Sharing more details about the scheme, Balbir said, "The 'Saath' scheme aims to support MSMEs (both manufacturing and service sectors), which are promoted by SC/ST entrepreneurs. Under the scheme, SC/ST entrepreneurs can avail the benefits of term loan assistance (on relatively easy terms) for establishment of new or a greenfield unit or for expanding and modernising the existing units, coupled with incentive structure. The term loan assistance will be provided to such units for the acquisition of land, the construction of factory or office building, equipment, plant and machinery and other fixed assets."

SIDBI GM said that each borrower could take the loan from Rs 25 lakh up to Rs 3 crore, while they would have to repay the amount within seven years (including the moratorium period of upto two years). He added that the loans extended under the scheme cannot be used for repayment of earlier loans.

He further explained that priority would be given to those units that are run by SC-ST entrepreneurs, which have already received funds under the 'Stand-up India' scheme of the Government of India. Also, the entrepreneur should contribute a minimum of 20 per cent of the project cost in the existing unit, and those making new units will have to contribute a minimum of 25 per cent of the project cost.

Jalandhar Tribune Fri, 23 December 2022 https://epaper.tribuneindia.com/c/71213192

खबरों में आयोग

ਏ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ

ਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਫੋਟੋ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਸਾਥ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ. ਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 5 ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਰਮਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਟੈਂਡ ਅਪ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

सिडबी की 'साथ' योजना, एससी-एसटी उद्यमियों को रोजगार के लिए मिलेगा सर

28 को होशियारपुर व फगवाड़ा के आवेदकों को मं

स्कीम का मकसद व इ

योजना के तहत मिलने व

SIDBI launches new loan scheme for SC/ST entrepreneurs, with focus on Punjab

EXPRESS NEWS SERVICE
JALANDHAR, DECEMBER 28

WITH THE sole aim to support Scheduled Caste/Scheduled Tribe entrepreneurs of the country, the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) formally launched 'Saath', a new financial scheme, at Hoshiarpur on Wednesday.

The scheme was launched by National Commission for Scheduled Castes (NCSC) chairman Vijay Sampla and SIDBI chairman and managing director Sivasubramanian Ramann.

During the event, the loan sanction letters were also issued to the beneficiaries of the scheme. "The Narendra Modi-led central government had asked banks to come up with loan schemes for SC/ST people. Considering my request, SIDBI came forward with one such initiative to help SC/ST people flourish their businesses. The 'Saath' scheme has minimal processing fee. People can repay the loan amount in seven years,

nesses," Sampla added.

Ramann said, "The businesses of many people got affected in Covid pandemic and with the 'Saath' scheme, people can again think of expanding their industries. Under the scheme, SC/ST entrepren can avail of the benefit of loan assistance (on relat easy terms) for establishing or greenfield units or for exp ing and modernising the e ing units, coupled with ince structure. The term loan a tance will be provided to units for acquisition of land struction of factory or c building, equipment, plan machinery and other fixe sets." Each borrower can t loan from Rs 25 lakh up to crore, while they will have pay the amount within s years (including the morato period of up to two years) loans extended under scheme cannot be used for r ment of earlier loans, he ad

Ramann said that pri would SC/ST

जालंधर भास्कर 22-12-2022

तकलीफपुरा • एससी कमीशन के चेयरमैन सांपला लतीफपुरा पहुंचे, पीड़ित लोगों का दर्द जाना

चीफ सेक्रेटरी, डीसी, निगम कमिश्नर, जेआईटी और लोकल बॉडी के अधिकारी दिल्ली तलब

सांपला का दावा- डीसी बोले मना किया था कि कार्रवाई न करें, निगम कमिश्नर ने कहा- कब्जे हटाने में इस्तेमाल मशीनरी निगम से गई है, ध्यान में नहीं

Jalandhar admin failed justifying Latifpura de

EXPRESS NEWS SERVICE
JALANDHAR, DECEMBER 21

Vijay Sampla visited Latifpura on and met the victims of the demo who are living on the debris of th houses in this cold weather

THE CHAIRMAN of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) Vijay Sampla on Wednesday said that the Jalandhar administration failed to show any relevant documents that justified the demolition of the houses of the SC community in the Latifpura area. He visited Latifpura on Wednesday and met the victims of the demolition drive who are living on the debris of their demolished houses in this cold weather.

Terming the incident an 'atrocity' by the state government and the district administration, Sampla summoned Punjab chief secretary, secretary local bodies, and Jalandhar's deputy commissioner (DC), police commissioner, commissioner of the cicipal corporation (MC) and Improvement Trust executive officer (EO), to appear

at NCS Delhi o

Sam who ha houses showed along v cards, A licences of thei Howev

The Indian EXPRESS Thu, 22 December 2022
https://epaper.indianexpress.com/c/71205671

'Sarkari atyachar': Sampla at Latifpura

TIMES NEWS NETWORK

Jalandhar: National Commission for Scheduled Castes chairman Vijay Sampla on Wednesday visited the families of Latifpura who have been rendered homeless due to "sarkari atyachar" (government atrocities).

He met senior local officials and said the commission had asked Punjab chief secretary to appear before it in Delhi on January 10. Sampla questioned the officials of Jalandhar Improvement Trust (JIT) about their record and justification for undertaking the demolition. Later, he said their answers were far from satisfactory. He asked the Jalandhar deputy commissioner to take action against JIT officials.

He said he had received a complaint from three scheduled caste families after which he decided to visit the place to check the ground situation. He met with the local JIT and MC officials, besides Jalandhar's deputy commissioner and police commissioner, and asked them for the record. He sought to know why they had rendered families homeless without arranging for alternative housing for them.

Sampla said Jalandhar's administration and Improvement Trust had failed to show any documents to justify the demolition at Latifpura, while the SC families, living there for the past 70 years had showed him water and electricity bills, along with voter cards, ration cards, Aadhaar cards and driving licences issued on the addresses of their demolished houses.

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी से शिष्टाचार भेट करने पहुंची डीओपीटी सचिव श्रीमती एस राधा चौहान। साथ में आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी से शिष्टाचार भेट करने पहुंचे कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा।

National Commission For Scheduled Castes
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003